भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1436

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

शैक्षणिक वर्षों के अनुसार नए सरकारी विद्यालयों की स्थापना

†1436. **श्री आनंद भदौरियाः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से 2024-25 के अंत तक और 31.12.2025 तक देश में सरकारी विद्यालयों की संख्या राज्य, वर्ष और श्रेणी-वार (अर्थात प्राथमिक, मध्य, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) कितनी है;

(ख) शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से 2025-26 तक स्थापित/शुरू किए गए नए सरकारी स्कूलों की संख्या राज्य, वर्ष और श्रेणी-वार (अर्थात प्राथमिक, मध्य, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) कितनी है;

(ग) क्या सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर शिक्षकों की भारी कमी ने सरकार को सरकारी विद्यालयों को बंद करने या विलय करने के लिए मजबूर किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देश में बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों को बंद करने और विलय करने के क्या कारण हैं;

(घ) देश में प्राथमिक, मध्य, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कार्यरत एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या कितनी है और प्रत्येक स्तर पर उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) देश में स्कूलों के बंद होने और विलय की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। स्कूलों को खोलना, बंद करना और उन्हें युक्तिसंगत बनाना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। यूडाइज़+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, वर्ष 2013-14 से वर्ष 2024-

25 तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है

यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी स्कूलों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिक्षकों की संख्याः-

वर्ष	शिक्षकों की संख्या - सभी प्रकार के प्रबंधन				
	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2023-24	5037671	1765068	1554433	532314	1185856
2024-25	5149771	1763157	1585109	531129	1270376

यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एकल शिक्षक स्कूलों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या और उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

यूडाइज़+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच में सुधार करने में प्रगति हुई है। यह वर्ष 2018-19 और वर्ष 2024-25 के लिए सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) से प्रमाणित है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2018-19	97.15	96.49	88.24	65.05
2024-25	97.83	96.57	95.35	94.97

जीएआर: सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) उस वर्ष के कुल गांवों/बस्तियों में से एक वर्ष में विनिदष्ट मानदंड के भीतर स्कूल वाले गांवों/ बस्तियों का कुल अनुपात है।

केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ीकरण करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उन्नयन तथा संचालन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निशुल्क यूनीफ़ॉर्म प्रदान करना, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा, आदि, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

******